[2021] 1 एस. सी. आर. 478

गजानन बाबूलाल बैनसोड और अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 104)

फरवरी 05,2021

[एल नागेश्वर राव, इंदु मल्होत्रा और विनीत सरन न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून-चयन-पुलिस उप निरीक्षक के पद के लिए

- महाराष्ट्र राज्य ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एम. पी. एस. सी.) द्वारा बिना किसी परामर्श या पूर्व अनुमोदन के विवादित जी. आर. जारी किया था-विवादित जी. आर. ने सीमित विभागीय के लिए अधिसूचित रिक्तियों की दोगुनी संख्या को भरने की मांग की थी।

प्रतिस्पर्धी परीक्षा (एल. सी. डी. ई.)-ओ. ए. ने विवादित जी. आर. महाराष्ट्र में निहित नीतिगत निर्णय को चुनौती दी।

636 अतिरिक्त उम्मीदवारों के संबंध में बनाए रखा गया जिनकी सूची जी. आर. में जोड़ी गई थी-आयोजितः सेवा न्यायशास्त्र में यह अच्छी तरह से तय है कि प्राधिकरण विज्ञापित रिक्तियों की अधिसूचित संख्या से अधिक नहीं भर सकता है, क्योंकि अधिसूचित रिक्तियों से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती कला का उल्लंघन होगी। 14 और संविधान के 16 (1)-न्यायाधिकरण ने यथास्थिति के आदेश को इस आधार पर खाली कर दिया कि दो आवेदकों ने भाग लिया था परीक्षा, लेकिन अर्हता प्राप्त करने में विफल यह अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए एक उचित आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि पदोन्नति की संभावनाएँ

आवेदक/याचिकाकर्ता गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे, क्योंकि 636 अतिरिक्त उम्मीदवारों के एक समूह को आवेदकों के अलावा पुलिस उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

जी. आर. को चुनौती नहीं दी थी-यह एक गलत अवलोकन है जो ओ. ए. में प्रार्थनाओं से स्पष्ट होगा-तीसरा आधार जिस पर न्यायाधिकरण ने अंतरिम आदेश को खाली कर दिया था, वह यह था कि उसी जी. आर. को चुनौती देने वाले समान ओ. ए. में, उन मामलों में आवेदकों ने अपने-अपने मामले वापस ले लिए थे, क्योंकि वे राज्य सरकार के साथ अपने अभ्यावेदन को आगे बढ़ाने के इच्छुक थे-यह यथास्थिति के आदेश को खाली करने के लिए एक उचित आधार भी नहीं हो सकता था क्योंकि अन्य पक्षों ने अपने स्वयं के कारणों से अपने ओ. ए. को वापस लेने का विकल्प चुना था-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में कहा है

न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान 9 महीने के प्रशिक्षण के लिए 636 उम्मीदवारों की अतिरिक्त सूची भेजने के लिए राज्य को निर्देश जारी किया-ऐसा निर्देश रिट याचिका में पारित नहीं किया जाना चाहिए था-अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश

न्यायालय ने कहा कि विवादित जी. आर. छह महीने के भीतर लंबित ओ. ए. का फैसला करने के लिए न्यायाधिकरण-न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान रोक रहेगा, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि अतिरिक्त 636 उम्मीदवारों को राज्य के माध्यम से लंबित ओ. ए. की सूचना दी जाती है, ताकि वे कार्यवाही में उपस्थित हो सकें और भाग ले सकें।

न्यायाधिकरण ने आगे सभी लंबित मूल आवेदनों को एक साथ रखने का निर्देश दिया

विवादित जी. आर. को चुनौती देना और एक सामान्य निर्णय पारित करना ये मामले पुलिस उप-निरीक्षक (भर्ती) नियम, 1995 - आर. 5

भारत का संविधान-Art.320 (3) (a)।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 104

2021 .

औरंगाबाद में बॉम्बे बेंच में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 06.03.2020 से रिट याचिका सं।

15045 2019 से।

विनय नवारे, M.N.Rao, R.Basant, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अजय देशपांडे, विनोद संगवीकर, आनंद दिलीप लैंडगे, एम. वाई. देशमुख, सुश्री आइना

वर्मा, रवींद्र केशवराव अदसुरे, सिद्धेश्वर नामदेव बिरादर, यश प्रशांत सोनावने, सुश्री मंजीत कृपाल, मनु कृष्णन, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

1. महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर उम्मीदवारों के चयन के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल. डी. सी. ई.) आयोजित करने के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ("एम. पी. एस. सी".) को 02.06.2016 पर एक अनुरोध जारी किया।

2. महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने एल. डी. सी. ई.-2016 के माध्यम से पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए 828 रिक्तियों को अधिसूचित किया, जिनमें से 642 खुली श्रेणी से और 186 विभिन्न आरक्षित श्रेणियों से थीं।

3. चयन पुलिस के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया गया था

निरीक्षक (भर्ती) नियम, 1995। प्रासंगिक नियम हैं -

यहाँ नीचे लिखा है:

" नियम 3: पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्ति

महाराष्ट्र राज्य में पुलिस बल या तो बनाया जाएगा: (क) वरिष्ठता के आधार पर एक उपयुक्त व्यक्ति की पदोन्नति द्वारा

के पदों पर आसीन व्यक्तियों में से योग्यता के अधीन

हवलदार और पुलिस बल में सहायक पुलिस उप-निरीक्षक

जिन्होंने लगातार पांच साल से कम नहीं पूरे किए हैं

सेवा या सात साल की टूटी हुई सेवा और जो योग्यता प्राप्त करते हैं

पुलिस महानिदेशक द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा

अनुच्छेद 5 में निर्धारित नियमों के अनुसार सरकारी संकल्प सं। पीएसबी। 0390 / सीआर-408/पीओएल-5-ए, दिनांकित 5 जुलाई 1995,1994

या

(ख) पुलिस बल में काम करने वाले व्यक्तियों के चयन द्वारा

द्वारा आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा के परिणाम का आधार नियुक्ति के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग

पुलिस उपनिरीक्षक का पद जिसमें प्रवेश के लिए

उम्मीदवार ने ((i) 35 वर्ष से अधिक आयु का न हो।

बशर्ते कि पांच वर्ष की आयु में छूट दी जा सकती है

पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार और

' बशर्ते कि वे उम्मीदवार जो उपस्थित होने के पात्र थे

1 जनवरी, 1991 के बाद सीमित विभागीय परीक्षा के लिए, लेकिन जिन्हें सीमित विभागीय के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं थी

आयु सीमा के कारण 1998 और 2002 में आयोजित परीक्षाओं,

अगले लगातार तीन बार पेश होने का मौका दिया जाएगा।

नीचे उल्लिखित शैक्षणिक योग्यताओं के साथ न्यूनतम नियमित सेवा शैक्षिक योग्यता

किसी भी संकाय में डिग्री।

(1) 4 वर्षों (2) 5 वर्षों

उच्च माध्यमिक विद्यालय से उत्तीर्ण

(3) 6 वर्षों

माध्यमिक विद्यालय से उत्तीर्ण

प्रमाणपत्र परीक्षा

बशर्ते कि पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में छूट (इकतीस वर्ष) दी जा सकती है: बशर्ते कि एक पूर्व सैनिक जिसने सशस्त्र बलों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए लगातार सेवा की है, उसे अपनी आयु से 2 वर्ष की अवधि में कटौती करने की अनुमति दी जा सकती है और

सेवा से रिहा होने की तारीख तक सशस्त्र बलों में उनकी निरंतर सेवा की अवधि से अधिक।

((ख) सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई डिग्री या कोई अन्य योग्यता हो;

(iii) निम्नलिखित न्यूनतम भौतिक माप हों, अर्थात्:

पुरुषों के लिए

((i) ऊँचाई

1165

न्यूनतम सेंटीमीटर।

((ii) छाती

79

सेंटीमीटर और उससे ऊपर

5 सेंटीमीटर।

महिलाओं के लिए

ऊँचाई

1157

सेंटीमीटर।

नियम 4: पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, सीमित विभागीय परीक्षा और नामांकन के आधार पर चयन 25 के अनुपात में किया जाएगाः 25: 50 .

नियम 5: इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि सरकार की राय में, सेवा की आवश्यकताओं की आवश्यकता है, तो सरकार एम. पी. एस. सी. के साथ पूर्व परामर्श से [2021] 1 एस. सी. आर. बना सकती है।

सीमित विभागीय परीक्षा या नामांकन के आधार पर पदोन्नति चयन द्वारा नियुक्ति के लिए निर्धारित अनुपात में छूट देते हुए पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्ति।

4. एमपीएससी ने 828 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की, जिनमें से 642 खुले वर्ग के थे, जिन्होंने 253 अंक प्राप्त किए थे। और उससे ऊपर; और 186 उम्मीदवार विभिन्न आरक्षित श्रेणियों से थे, जिन्होंने 12.12.2017 पर घोषित सही अंतिम परिणाम के आधार पर 230 और उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे।

5. गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव सं। पुलिस-1818/फाइल 355/पोल 5ए दिनांकित

22.04.2019 मंत्रिमंडल ने अधिसूचित किया कि एल. डी. सी. ई.-2016 की परीक्षा में 230 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 636 अतिरिक्त उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया है।

6. पुलिस महानिदेशालय ने पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अतिरिक्त 636 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक भेजने के लिए चिकित्सा परीक्षण और अन्य औपचारिकताओं के संचालन के लिए एक निर्देश जारी किया।

7. एम. पी. एस. सी. के उप सचिव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (अपील और सुरक्षा) को दिनांकित एक पत्र संबोधित किया

महाराष्ट्र सरकार जिसमें यह कहा गया था कि अनुच्छेद के अनुसार

320 संविधान के अनुसार, एम. पी. एस. सी. के पास राज्य में विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करने की शक्ति है। पुलिस उप-निरीक्षक का पद श्रेणी III का पद होने के कारण, पुलिस उप-निरीक्षक (भर्ती) नियम, 1995 के अनुसार भरा जाना आवश्यक था। 636 अतिरिक्त की सूची सरकार द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचित की गई थी, जो एम. पी. एस. सी. से परामर्श किए बिना की गई थी, जो एक गंभीर अनियमितता थी और आयोग के कामकाज में बाधा डालती थी।

8. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, विभिन्न मूल अनुप्रयोग थे

जी. आर. दिनांक 22.04.2019 में निहित नीति निर्णय को चुनौती देने के लिए उम्मीदवारों द्वारा दायर किया गया। वर्तमान मामले में ओ. ए. सं. 722/2019 सेवा में तैनात उम्मीदवारों के एक समूह द्वारा दायर किया गया था जो पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम कर रहे थे, और विवादित जी. आर. से व्यथित थे, क्योंकि इससे उनकी पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

याचिकाकर्ताओं ने जी. आर. दिनांक 22.04.2019 को इस आधार पर चुनौती दी कि जिन अतिरिक्त 636 उम्मीदवारों को पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर समायोजित करने का निर्देश दिया गया था, वे गजानन बाबूलाल बैनसोड और ओ. आर. एस. के विपरीत थे।

भर्ती नियम, और सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती के लिए अनुपात को विकृत करने का अपरिहार्य प्रभाव होगा।

पुलिस उप-निरीक्षक (भर्ती) नियम, 1995 का नियम 4 स्थानीय विभागीय के माध्यम से पदोन्नति के लिए 25 प्रतिशत का कोटा प्रदान करता है।

जाँच। 636 अतिरिक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति से नियम 4 द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत के कोटे को विकृत करने का प्रभाव पड़ेगा और उन उम्मीदवारों के भविष्य में पदोन्नति के अवसरों में कमी आएगी जो या तो एल. डी. सी. ई.-2016 में विफल रहे थे या जो आयु, अनुभव और शैक्षिक योग्यता के कारण पात्र नहीं थे। निकट भविष्य में याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के अवसरों से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।

महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने दिनांक 18.10.2019 के अंतरिम आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि इस संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए

636 अतिरिक्त उम्मीदवार जिनकी सूची सरकारी प्रस्ताव में जोड़ी गई थी। यह आदेश 2019 के ओ. ए. संख्या 445 में न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा पारित एक पूर्व आदेश दिनांक 1 के आधार पर पारित किया गया था।

9. उत्तरदाता संख्या 5 और 6 ने इसमें विविध आवेदन दायर किए। दिनांकित यथास्थिति के अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए 2019 का आवेदन No.545,

जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि राज्य को जी. आर. दिनांक 22.04.2019 के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाए।

636 अतिरिक्त उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए जिन्हें विवादित जी. आर. के तहत नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था, और ओ. ए. में शामिल होने के लिए आवश्यक पक्ष थे। रिलायंस को बॉम्बे द्वारा पारित आदेश पर रखा गया था। डब्ल्यू. पी. सं. 3555/2019 निवारथी वेंकटराव गिट्टे बनाम में उच्च न्यायालय। महाराष्ट्र राज्य, जिसमें उसी जी. आर. दिनांकित 22.04.2019 को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, लेकिन यह रिट याचिका के परिणामों के अधीन होगी।

11. दिनांक 30.11.2019 के आदेश से व्यथित, मूल आवेदकों/याचिकाकर्ताओं ने इससे पहले 2019 का डब्ल्यू. पी. सं. 15045 दाखिल किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय ने रिट याचिका और 636 अतिरिक्त उम्मीदवारों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के अनुरोध को खारिज कर दिया।

जिन्हें नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने से इनकार कर दिया कि क्या जी. आर. दिनांकित (आई. डी. 1) नियम 5 द्वारा प्रदान की गई असाधारण परिस्थितियों में जारी किया गया था, क्योंकि ओ. ए. न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय लंबित था। हालाँकि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अतिरिक्त 636 उम्मीदवारों को 9 महीने के प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्देश जारी किया। और, न्यायाधिकरण से उसी अवधि के भीतर लंबित ओ. ए. का निपटान करने का अनुरोध किया, ताकि नियुक्ति से पहले /

अतिरिक्त उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किए जाने पर ओ. ए. तय किया जाएगा। 12. हमने अपीलार्थियों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे, प्रतिवादी राज्य महाराष्ट्र के अधिवक्ता श्री सचिन पाटिल, कैविएटर्स के अधिवक्ता श्री रवींद्र एडसुर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर बसंत और हस्तक्षेपकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. एन. राव को सुना है। हम पक्षकारों की सहमति से प्रवेश स्तर पर अपील का निपटारा कर रहे हैं।

13. भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ए) में प्रावधान है कि संघ लोक सेवा आयोग, या राज्य लोक सेवा

सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर आयोग से परामर्श किया जाएगा।

वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि महाराष्ट्र राज्य ने

14. पुलिस उप-निरीक्षक (भर्ती) नियम, 1995 के नियम 5 में प्रावधान है कि इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि सरकार की राय के अनुसार, सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार, सीमित विभागीय परीक्षा या नामांकन के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए निर्धारित अनुपात में आयोग के पूर्व परामर्श से ढील दी जा सकती है।

सरकार को न्यायाधिकरण के समक्ष यह स्थापित करने की आवश्यकता होगी कि क्या कोई असाधारण परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण

नियम 5 के तहत शक्ति के प्रयोग की गारंटी दी गई, जिसका उपयोग केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है।

15. विवादित जी. आर. परिपत्र द्वारा एल. सी. डी. ई.-2016 के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या को दोगुना करना चाहता है।

दिनांकित 27.06.2016। सेवा न्यायशास्त्र में यह अच्छी तरह से तय है कि प्राधिकरण रिक्तियों की अधिसूचित संख्या से अधिक नहीं भर सकता है।

विज्ञापित किया गया है कि अधिसूचित रिक्तियों से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) का उल्लंघन होगी।

16. न्यायाधिकरण ने यथास्थिति के आदेश को रद्द कर दिया है

18.10.2019 , इस आधार पर कि दो आवेदकों ने परीक्षा में भाग लिया था, लेकिन अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे। यह अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए एक उचित आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति की संभावनाएं गंभीर होंगी।

पूर्वाग्रह से ग्रस्त, क्योंकि 636 अतिरिक्त उम्मीदवारों के एक समूह को आवेदकों के अलावा पुलिस उप-निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 17. दूसरा आधार जिस पर न्यायाधिकरण ने अंतरिम आदेश को खाली कर दिया है, आदेश के पैरा 17 में कहा गया है कि आवेदकों ने ऐसा नहीं किया था

जी. आर. दिनांकित 22.4.2019 को चुनौती दी।

यह एक गलत अवलोकन है जो ओ. ए. में प्रार्थनाओं से स्पष्ट होगा जो तैयार संदर्भ के लिए यहां दिए गए हैं:

" (ए) उत्तरदाताओं को पीएसआई के अनुसार सख्ती से भर्ती करने का निर्देश देकर मूल आवेदन की अनुमति दी जा सकती है।

भर्ती नियम, 1995, बिना किसी विचलन के (बी) 636 उम्मीदवारों की पदोन्नति द्वारा भर्ती सरकार द्वारा की जानी चाहिए। दिनांकित 22.4.2019 के प्रस्ताव को कृपया रद्द किया जा सकता है और अलग रखा जा सकता है, क्योंकि यह भर्ती नियमों के विपरीत होने के साथ-साथ माननीय की बाध्यकारी मिसाल भी है।

इस आवेदन की सुनवाई और अंतिम निपटान लंबित होने पर, उत्तरदाता संख्या 1 से 3 को कृपया निर्देश दिया जा सकता है कि वे विवादित सरकार को आगे बढ़ाने के लिए कोई आगे की कार्रवाई न करें। संकल्प दिनांक 22.4.2019। (डी) इस आवेदन की सुनवाई और अंतिम निपटान लंबित होने पर, उत्तरदाता संख्या 1 को कृपया 636 उम्मीदवारों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जा सकता है जिन्हें उनके द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए।

पदोन्नति, विवादित सरकार के तहत। संकल्प दिनांक 22.4.2019।

कोई अन्य उपयुक्त और न्यायसंगत राहत जिसके लिए आवेदक हैं हकदार है और यह माननीय न्यायाधिकरण उचित समझता है, कृपया

उनके पक्ष में दिया जाए।

(जोर दिया गया)

इसे ध्यान में रखते हुए, उक्त अवलोकन एक आधार नहीं हो सकता है

18.10.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से दिए गए स्थगन के अंतरिम आदेश को खाली करना।

18. तीसरा आधार जिस पर न्यायाधिकरण ने अंतरिम को खाली कर दिया है

आदेश यह था कि इसी तरह के ओ. ए. में उसी जी. आर. को चुनौती दी गई थी।

22.4.2019 , प्रधान पीठ के समक्ष दायर 2019 के ओ. ए. संख्या 455 सहित, उन मामलों में आवेदकों ने अपने-अपने मामले वापस ले लिए थे, क्योंकि वे राज्य सरकार के साथ अपने अभ्यावेदन को आगे बढ़ाने के इच्छुक थे।

यह आदेश को खाली करने के लिए एक उचित आधार भी नहीं हो सकता है।

केवल इसलिए कि अन्य पक्षों ने अपने स्वयं के कारणों से अपने ओ. ए. को वापस लेने का विकल्प चुना था।

19. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिका में

न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान 9 महीने के प्रशिक्षण के लिए 636 उम्मीदवारों की अतिरिक्त सूची भेजने के लिए राज्य को निर्देश जारी किया।

हमारा विचार है कि इस तरह की दिशा नहीं होनी चाहिए थी।

वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका में पारित किया गया, जो विवादित सरकारी प्रस्ताव सं। पुलिस-1818 /

फाइल 355/पोल 5 ए दिनांकित 22.04.2019, जो चुनौती का विषय है।

20. ऊपर की चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान की अनुमति देते हैं

सिविल अपील, और निर्देश दें कि सरकारी संकल्प सं। पुलिस-1818/फाइल 355/पोल 5 ए दिनांकित 22.4.2019 विचाराधीनता के दौरान रोक रहेगी।

महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही।

हम द्वारा दिनांकित 30.11.2019passed आदेश को अलग करते हैं

महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण जिसने अंतरिम आदेश 18.10.2019 को खाली कर दिया, और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित 06.03.2020 दिनांकित आदेश

डब्ल्यू. पी. सं. 15045/2019 में न्यायालय।

21. हम महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नागपुर को निर्देश देते हैं

इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर लंबित ओ. ए. पर निर्णय लेने के लिए पीठ। न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि अतिरिक्त 636 उम्मीदवारों को यू. एल. ए. एल. बैनसोड एंड ओ. आर. एस. के माध्यम से लंबित ओ. ए. का नोटिस दिया जाए।

सभी लंबित मूल आवेदकों को शामिल करने के लिए निर्देशित कार्यवाही में उपस्थित होने और भाग लेने के लिए

हेड सरकारी संकल्प सं। पुलिस-1818/इन मामलों में एक सामान्य निर्णय।

लागत के बारे में आदेश दें। यदि कोई हो तो उसका तदनुसार निपटान किया जाता है।

अपील एलो